

आम की बागवानी के लिये योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य सरकार ने **आम की बागवानी के लिये** विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना शुरू की है, ताकि आम उत्पादन में लगे **किसानों को लक्ष्मि सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके**।

- **बिहार में 15.84 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है और आम के उत्पादन में यह देश में तीसरे स्थान पर है।**

मुख्य बिंदु:

- **आम के क्षेत्र विस्तार के लिये 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी के साथ आम विकास योजना शुरू की गई है।**
 - राज्य एक **सूक्ष्म सिंचाई योजना** को सुविधाजनक बना रहा है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप, मनी तथा **माइक्रो सप्रकिलर** पर 80% सहायता (अन्य किसानों के लिये 70%) एवं सामुदायिक बोरवेल पर 80% सहायता दी जा रही है।
- बिहार में कई विशिष्ट स्वाद वाले आम उगाए जाते हैं, जिनमें **दूधिया मालदा, जर्दालु और आमरपाली** शामिल हैं।
 - उचित **वर्षा और ब्रांडिंग** से बाज़ार में राज्य के फलों की धारणा तथा मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है।
- **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** के समर्थन से, बिहार ब्रिटेन, मध्य पूर्व और न्यूजीलैंड को लगभग 1200 मीट्रिक टन से अधिक ताज़े आम का निर्यात करता है।

जर्दालु आम

- जर्दालु भागलपुर की एक अनोखी आम की कसिम है।
- यह अपने हल्के पीले रंग और विशिष्ट सुगंध के लिये जाना जाता है।
- इसे वर्ष 2018 में **भौगोलिक संकेत (GI)** टैग दिया गया था।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA)

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985** के तहत की गई थी।
- यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का **मुख्यालय नई दिल्ली** में है।
- वर्ष 2020 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने कृषि गतिविधियों में बेहतर तालमेल लाने के लिये **लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC)** के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।